

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 28.08.14


—:आज्ञा:—

विषय:— राजकीय अधिकारीगण के निवासीय टेलीफोन (बेसिक + मोबाइल + इन्टरनेट + ब्राडबैण्ड) पर एक मुश्त मासिक वित्तीय सीमा तक व्यय के निर्धारण बाबत।

मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण एवं समकक्ष पदों हेतु निवास पर राजकीय टेलीफोन/मोबाइल सुविधा/इन्टरनेट/ ब्राडबैण्ड उपलब्ध कराने बाबत इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 03.09.12 के अनुक्रम में तय वित्तीय सीमा के अंतर्गत रोमिंग (नेशनल), एसटीडी प्लान, वेल्यू एडेड सर्विस, एसएमएस, लेट फीस, राजकीय टेलीफोन पर Adjustment for Broadband Security Deposit, Adjustment for Broadband Modem Deposit Charges, Adjustment for Broadband Shift Charges और Adjustment for Broadband Installation Charges आदि सभी चार्जेज अनुज्ञेय होंगे।


यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं0 101403219 दिनांक 14-08-14 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं। यह आदेश वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अजीत कुमार सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. अति. मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल/
3. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव/अति. निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
5. उप सचिव, (निजी सचिव), मुख्य सचिव।
6. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।


(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

Room No. 1133, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005,

Tel. No. (Jt. Secy)-0141-2227874/9414085447, (AS)9414043554 (SO)-2227776 (Fax)-5116626, 2227928

Website: www.gad.rajasthan.gov.in, Email-gadsec111@rediffmail.com

D:\C B Dhakar Old\ChandraBhanDhakar\G K Mishra\3\Circular2013New.doc